

(लोक अदालत)

1. पत्रावली पेश हुई। वर्तमान मोटर यान अधिनियम के अन्तर्गत कारित अपराध से सम्बन्धित है तथा दिनांक 31.12.2021 से पूर्व से लम्बित है।
2. उत्तर प्रदेश दण्ड विधि (अपराधों का शमन और विचारणों का उपशमन) (संशोधन) अध्यादेश, 2023 (उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या-2 सन 2023) द्वारा उत्तर प्रदेश दण्ड विधि (अपराधों का शमन और विचारणों का उपशमन) (संशोधन) अधिनियम, 1979 की धारा-9 में उपधारा-(2) में शब्द और अंक " 31 दिसम्बर, 2016 " के स्थान पर शब्द और अंक " 31 दिसम्बर, 2021 " रख दिये जाने संबंधी संशोधन किया गया है। अतः उत्तर प्रदेश दण्ड विधि (अपराधों का शमन और विचारणों का उपशमन) (संशोधन) अधिनियम, 1979 की धारा-9 के अनुसार 31 दिसम्बर, 2021 के पूर्व से लम्बित वर्तमान आपराधिक प्रकरण उक्त विधिक प्राविधान के प्रकाश में उपशमित हो गया है। अतः पत्रावली नियमानुसार दाखिल अभिलेखागार हो।